जिला निर्वाचन कार्यालय 06272–245412
Email ID - dyeo.dbg-bih@nic.in

समाहरणालय, दरभंगा
(जिला निर्वाचन कार्यालय)

आवास – 06272 – 240300
कार्यालय – 06272 – 240200
फैक्स न0 – 06272–240400
Email ID - dm-darbhanga.bih@nic.in

पत्रांक............... / जि0नि0

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

सेवा में,

प्रबंधक,
बी0टी0एन0 न्यूज, दरभंगा।
मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा।
एस0सी0एस0 न्यूज, लहेरियासराय, दरभंगा।

लहेरियासराय, दिनांक.............वीं जुलाई 2017

विषयः– **केबुल पर स्लोगन तथा जिंगल्स के प्रसारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आलोक में वर्त्तमान में जिले में **"कोई निर्वाचक छूटे नहीं"** संबंधित निर्वाचक सूची में निबंधन का विशेष अभियान प्रगति पर है, जो दिनांक 31.07.2017 तक चलेगा। इस अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए तथा विशेष कर 18–21 वर्ष के आयू समुह के निर्वाचकों को निबंधन के प्रति जागरूक करने एवं इसे सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कार्यालय से प्राप्त **स्लोगन तथा जिंगल्स** पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। निदेश दिया जाता है कि अपने केबुल नेटवर्क पर स्क्राल (SCROLL) के रूप में दिनांक 31.07.2017 तक लगातार इसका प्रसारण सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझे।

अनुलग्नक :– 1. रेडियो जिंगल्स की सॉफ्ट कॉपी।
2. जागरूकता स्लोगन की हार्ड कॉपी।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक 868 / जि0निर्वा0 दिनांक 07 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि :– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आकाशवाणी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया निर्वाचकों की जागरूकता से संबंधित जिंगल्स का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से दिनांक 31.07.2017 तक लगातार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं स्क्राल (SCROLL) के रूप में जिले के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया प्रतिदिन निर्वाचकों की जागरूकता से संबंधित सूचना की प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

07/07/17

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, दरभंगा।

निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु विशेष अभियान, 2017

स्लोगन

1) वोटर लिस्ट में जोड़े नाम
जब हुए अठारह साल

2) हो गये जब 18 साल के
नाम जुड़वायें वोटर लिस्ट में

3) जिम्मेदार नागरिक कहलायें
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वायें

4) मतदाता सूची में नाम जुड़वायें
मतदान का अधिकार पायें।

5) मतदान तभी कर पायेंगे
जब वोटर लिस्ट में आयेंगे

6) कोई मतदाता न छुटे
वोटर लिस्ट में नाम जुटे

7) वे सभी हैं होशियार
वोटर लिस्ट में है जिनका नाम

SCROLL हेतु सामग्री

- भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के युवा भारतीय नागरिकों के निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु विशेष अभियान कार्यक्रम 2017, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक चलाया जा रहा है।

- निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु आवेदक को अर्हता तिथि 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी आवश्यक है।

- नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन करना है।

- दिनांक 8 जुलाई (शनिवार) और 22 जुलाई (शनिवार) को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कैम्प लगाये जायेंगे जहाँ बूथ लेवल पदाधिकारी प्रपत्र 6 के साथ उपस्थित रहेंगे।

- "कोई मतदाता न छूटे"